न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

अनु.जा.ज.जा. थाना कांड संख्या 20/2020

09.08.2021 अनु.जा.ज.जा. थाना कांड संख्या 20/2020 अंतर्गत धारा 341,323,324,354,,504,506/34 भा.दं.वि. एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम के आवेदिका अभियुक्ता कविता देवी एवं आकांक्षा कुमारी उर्फ रंगोली आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये। इनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम एवं सूचिका को स्टुडियों कोर्ट में सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका उर्मिला देवी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 16.10.2020 को सूबह 9 बजे वह मठतलाब के पूरब अपने खेत में धान का अटिया बॉध रही थी तभी कविता देवी, कुमार अरूण, रवि रमन, अकांक्षा कुमारी उर्फ रंगोली, आरोही कुमारी एवं दो अज्ञात व्यक्ति स्कूटर मोटरसायकिल से एकाएक आकर घेर लिये। कविता देवी जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए बाल पकड़कर जमीन पर पटक दी। अकांक्षा कुमारी एवं आरोही कुमारी एक–एक टॉग पकड़कर खिचने लगी । सूचिका जमीन पर नंगा हो गयी। कुमार अरूण सूचिका का हाथ एवं गाल पकड़कर मारने लगे और साड़ी खीचंकर फाड़ दिये। रविरमन उसकी छाती पकड़कर खींचने लगे जिससे उसका बेलाउज फट गया और छाती कट गया। कविता देवी ऑख पर मारी जिससे ऑख के नीचे चोट लगा। सभी लोग उसे नंगा कर लात मुक्का से मारने लगे तथा जाति का लाम लेकर गाली देते हुए खेत लिखवा लेने की बात कहे। आरोही कुमारी गले से सोने का चैन नोच ली। अकांक्षा कुमारी जान मारने के नियत से गला दबानी लगी। हल्ला पर इनके पति योगेन्द्र राम, रजवीर कुमार, रिन्की कुमारी, पिन्की कुमारी एवं अन्य लोग आये तो उक्त सभी लोग धमकी देते हुए भाग गये।

आवेदिका अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तागण निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि जिस तरह की घ ाटना बतायी गयी है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है बल्कि आवेदिकागण के पट्टिदार दयाकान्त सिंह आवेदिकागण के परिवार की कीमती जमींन हड़पना चाहतें हैं और उनके द्व ारा एक हकियत वाद सं. 162/2017 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिवानी न्यायालय में दाखिल किया गया है और इसी कारण दयाकान्त सिंह सूचिका, सूचिका के पति योगेन्द्र राम एवं अन्य को खड़ा कर यह मुकदमा तथा अन्य मुकदमा दबाव बनाने के उद्देश्य से दाखिल करायें है। इनका यह भी तर्क है कि दयाकान्त सिंह एवं उनके गुट के लोग आवेदक पक्ष के जमींन पर लगे रहर के फसल को चोरी किये परन्तु उनके विरूद्ध

शिकायत करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न कर धारा 144 द.प्र.सं. की प्रकिया हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसी कारण सूचिका ने यह मुकदमा दाखिल किया तथा सूचिका के पति महंथ योगेन्द्र राम द्वारा सिसवन थाना कांड संख्या 85/2020 दर्ज कराया गया। इनका यह भी तर्क है कि दिनांक 16.10.2020 को आवेदिका कविता देवी की पुत्री आरोही कुमारी को सूचक पक्ष द्वारा मारपीट कर गम्भीर जख्म पहुँचाया गया जिस सम्बंध में एक मुकदमा आवेदिका पक्ष की ओर से सिसवन थाना कांड सं. 245/2020 सूचिका के पति एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज कराया गया और उसके पश्चात हीं दयाकान्त सिंह द्वारा एक मुकदमा सिसवन 246/2020 तथा सूचिका के पति के व्यवसायिक पार्टनर द्वारा एक मुकदमा सिसवन थाना कांड सं. 244/2020 दर्ज कराया गया है। इनका यह भी तर्क है कि वर्ष 2020 से पूर्व का कोई मुकदमा आवेदिकागण के विरूद्ध नहीं हुआ है जो भी मामला दर्ज हुआ है वह सूचिका, उसके पति, सहयोगी एवं दयाकान्त सिंह द्वारा जमींनी विवाद में दबाव बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इनका यह भी कथन है कि प्राथमिकी से आवेदिकागण के विरूद्ध धारा 354 भा.दं.वि. अथवा विशेष अधिनियम का आरोप नहीं बनता है क्योंकि दोनों आवेदिकागण महिला है। इनका यह भी तर्क है कि मामले की सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्य गलत मुकदमा करने के आदी है तथा इनके द्वारा कुल 12 मुकदमा जाति का नाजायज लाभ लेकर भिन्न–भिन्न लोगों पर किया गया है, जिसकी छाया प्रति सूची के साथ दाखिल की गयी है। इनका यह भी तर्क है कि अभिकथित
घटनास्थल सूचिका के गॉव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहॉ न तो सूचिका थी, न हीं उसके साथ कोई घटना घटित हुई है। इनका यह भी तर्क है कि इस कांड की प्राथमिकी लगभग 8 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। मामले में पूर्व में सहअभियुक्तों को जमानत की सुविधा प्राप्त है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका अभियुक्तागण पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर कविता देवी पर बाल पकडकर जमींन पर पटकने एवं सूचिका के आंख पर मारने का तथा अभियुक्ता आकांक्षा कुमारी पर टांग पकड़कर खींचने का आरोप है। अतः जमानत आवेदन का खारिज करने की प्रार्थना की गयी। परन्तु इनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि जख्मी सूचिका का इलाज दिनांक 17.10.2020 को हुआ है तथा चिकित्सक द्वारा उसके दोनों जख्मों को साधारण प्रकृति का होना पाया है। इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि मामले के सहअभियुक्तों का नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

सूचिका द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदिकागण द्वारा बहुत ही मार मारा गया था।

उपरोक्त तर्को, तथ्यों, परिस्थितियों, घटना की प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं होने, पक्षों के बीच पलटा मुकदमा दाखिल होने, आवेदिका अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका को जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, अभिकथित घटना दिनांक 16.10.2020 का बताये जाने परन्तु जख्म प्रतिवेदन के अनुसार घटना के एक दिन बाद दिनांक 17.10.2020 को जख्मी सूचिका का ईलाज होने, जख्मी के शरीर पर पाये गये दोनों जख्मों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का पायेजाने, आवेदिकागण के महिला होने, आवेदिका पक्ष की ओर से दाखिल कागजातों के अनुसार सूचिका एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अनु.जा.ज.जा. का कई मुकदमा भिन्न–भिन्न लोगों पर किये जाने, पक्षों के बीच भूमि विवाद होने, मामले में पूर्व में सहअभ्युक्तों को जमानत की सुविधा प्राप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त आवेदिका अभियुक्तागण को मो0 10,000/ रूपये बंधपत्र इतनी ही राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/

विशेष न्यायाधीश, सीवान